पत्रांक–बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–45 / 2018 सो०...937

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–25/06/2021

विषयः– **संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक, आई०टी० सहायक एवं आई०टी० प्रबंधक की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने संबंधि दिशा–निर्देश एवं जाँच पत्रक के संबंध में।**

प्रंसगः– **सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–674, दिनांक–03.05.2021.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक, आई०टी० सहायक एवं आई०टी० प्रबंधक की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने संबंधि दिशा–निर्देश एवं जाँच पत्रक के संबंध में निर्गत है।

उक्त पत्र को संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक, आई०टी० सहायक एवं आई०टी० प्रबंधक की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने संबंधि दिशा–निर्देश एवं जाँच पत्रक के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु०ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

25-6-21

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

52D:\PREM Office\AO-2.docx

पत्रांक–01(स्था०)–सू०प्रा०–विविध–10/2017.....674

बिहार सरकार

सूचना प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक,

संतोष कुमार मल्ल,
सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 03-05-2021

विषयः– **सूचना प्रावैधिकी विभाग के संकल्प संख्या–1552 दिनांक 09.11.2015 एवं 1520 दिनांक 10.12.2018 के आलोक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/निगमों में संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई० टी० सहायक/आई० टी० मैनेजर/स्टेनोग्राफर/ प्रोग्रामर/आई०टी० ब्यॉय/आई०टी० गर्ल कर्मी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु के उपरांत आश्रित को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति से संबंधित जाँच–पत्रक के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/निगमों में संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० सहायक/आई०टी० मैनेजर/स्टेनोग्राफर/प्रोग्रामर/आई०टी० ब्यॉय/आई०टी० गर्ल कर्मी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु के उपरांत इस विभाग के संकल्प संख्या–1552 दिनांक 09.11.2015 एवं 1520 दिनांक 10.12.2018 के आलोक में मृतक कर्मी के आश्रित/आश्रिता को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र अनुग्रह अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधान के आलोक में विभिन्न विभागों/कार्यालयों से अनुग्रह अनुदान हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं; परन्तु प्रस्ताव के साथ अपेक्षित अभिलेख/कागजात संलग्न नहीं होते, फलतः इसकी स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होता है। इस परिप्रेक्ष्य में विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि प्रस्ताव के साथ एक विहित जाँच पत्रक संलग्न किया जाय।

अतएव जाँच–पत्रक का प्रपत्र संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अनुग्रह अनुदान के प्रस्ताव के साथ पूर्ण प्रविष्टि एवं अभिलेखों के साथ हस्ताक्षरित जाँच–पत्रक भी भेजा जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(संतोष कुमार मल्ल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 01(स्था०)–सू०प्रा०–विविध–10/2017.....674 पटना, दिनांक 03-05-2021
प्रतिलिपि : मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/महाप्रबंधक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, बेल्ट्रॉन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संतोष
सरकार के सचिव

(5)

सूचना प्रावैधिकी विभाग के संकल्प संख्या–1552 दिनांक 09.11.2015 एवं 1520 दिनांक 10.12.2018 के आलोक में सेवा अवधि के दौरान मृत्यु के उपरांत आश्रित को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति से संबंधित जाँच–पत्रक।

(मृतक के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

1.	मृतक कर्मी का नाम एवं पदनाम	:–	
2.	कार्यालय का नाम	:–	
3.	मृत्यु की तिथि (सक्षम प्राधिकार का मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न की जाए)	:–	
4.	मृतक के नियोजन एवं मृत्यु के ठीक पूर्व उनके कार्यरत रहने का प्रमाण–पत्र।	:–	
5.	मृतक के फोटोयुक्त पहचान–पत्र (यथा–निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई भी)	:–	
6.	आश्रित का नाम एवं पता (पहचान पत्र, जिससे मृतक के साथ संबंध स्थापित हो, संलग्न की जाय। यथा–निर्वाचन पहचान पत्र, आधार स्वअभिप्रमाणित)	:–	
7.	आश्रित का बैंक खाता, IFS Code सहित (बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति अथवा Cancelled Cheque संलग्न की जाए)	:–	
8.	आश्रित के PAN Card का स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया गया है या नहीं	:–	
9.	आश्रित का मोबाईल संख्या	:–	

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर
मुहर सहित